

बिक्रियों के बारे में जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन आयातों का सत्यापन, डी० जी० टी० डी०, उद्योग निदेशकों आदि जैसे प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा किया जाना होता है।

Promotion of Superintendent E/M and B/R Grade-I and Surveyor Assistant Grade-I of M.E.S.

3002. SHRI BABURAO PARANJPE : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Superintendent Electrical/Mechanical and Buildings/Roads Grade I and Surveyor Assistant Grade I of M.E.S., are getting promotion after 15 years of service ; and

(b) if so, what action has been taken to remove the stagnation ?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF FINANCE (SHRI K.P. SINGH DEO) : (a) Yes, Sir. However, the Surveyor Assistants Grade I with 13 years service have been promoted.

(b) The following measures have been taken to mitigate the stagnation :

(i) A new grade of Assistant Engineer Group 'B'-Gazetted has been created.

(ii) Pay Scale for the Grade of Superintendent Grade I and Surveyor Assistant Grade I has been revised upward from Rs. 550-750 to Rs. 550-900.

(iii) Cadre Review proposals in respect of Group 'A' Cadres of Military Engineer Services is already in an advanced

stage of processing in the Department of Personnel & Administrative Reforms. For the other categories action is under consideration.

राजभाषा अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी कर्मचारियों की नियुक्ति

3003. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति रही है कि उसने राजभाषा अधिनियम कार्यान्वयन के लिए घनाभाव के बाधर पर कभी कोई बाधा खड़ी नहीं की ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन दिनों उक्त अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हिन्दी कर्मचारियों की नियुक्तियों में घनाभाव का बहाना लगा कर या तो बाधा खड़ी की जा रही है या अनावश्यक देरी की जा रही है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) से (ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अन्तर्गत बनाई गई राजभाषा नियमावली, 1976 में संघ के सरकारी प्रयोजनों के संबंध में हिन्दी के प्रयोग के लिए कुछ सांविधिक दायित्वों का निर्धारण किया गया है। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित पदों को, अतिरिक्त आयोजना-भिन्न पदों के सृजन पर लगे सामान्य प्रतिबन्ध से छूट दी गई है। विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार ऐसे पदों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कर्मचारियों के